17-8-2020

पत्रावली आज पेश हुई। श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही उपस्थित। प्रतिवादी संख्या– 3 व 4 की ओर से Cremica Food Industries Ltd. के अधिकृत प्रतिनिधि श्री सुनील जोशी उपस्थित। प्रकरण में Cremica Food Industries Ltd. के प्रतिनिधि श्री सुनील जोशी ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि मुझे Cremica Food Industries Ltd. द्वारा इस प्रकरण संख्या 20/2020 में जवाब प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया है जिसकी सुनवाई तिथि 18.8.2020 है किन्तु मुझे मेरी माताजी के स्वास्थ्य की जांच हेतु अहमदाबाद जाना पड रहा है जिसके कारण में दिनांक 18.8.2020 को सुनवाई में उपस्थित होने में असमर्थ हूँ,

.......लगातार

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2020.11.06 13:25:13 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	इसलिये इस प्रकरण मे आज दिनांक 17.8.2020 को सुनवाई करावे। प्रतिवादी Cremica Food Industries Ltd. के प्रतिनिधि सुनील जोशी ने उक्त प्रार्थना पत्र के साथ Cremica Food Industries Ltd. का अधिकृत पत्र भी प्रस्तुत किया। प्रतिवादी Cremica Food Industries Ltd. के अधिकृत प्रतिनिधि सुनील जोशी का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर इस प्रकरण की पत्रावली आज दिनांक 17.8.2020 को सुनवाई हेतु रखी गई। प्रतिवादी Cremica Food Industries Ltd. के अधिकृत प्रतिनिधि श्री सुनील जोशी ने लिखित जवाब भी प्रस्तुत किया, जिसमें यह अंकित किया है कि दिनांक 14.7.2019 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विजय कुमार शर्मा द्वारा प्रोपराईटरी फूड (चीज ब्लेन्ड) का नमूना जांच के लिये लिया गया था वह हमारी फर्म Cremica Food Industries Ltd. वी.के.आई. एरिया, जयपुर द्वारा बनाया एवं बेचा गया है जो जांच रिपोर्ट के अनुसार मिस ब्राण्डेड पाया गया है। लेबल पर BEST BEFORE को small letter में लिखा गया है, अब हमने इस कमी को दुर कर दिया है। लेबल की फोटो साथ में संलग्न है। नमूने की रिपोर्ट के अनुसार क्वालिटी सही पाई गई है। लेबल पर BEST BEFORE को small letter में लिखा होने से मिसब्राण्ड माना गया है। इस गलती को हम स्वीकार करते है। भविष्य में इस गलती को नही दोहरायेंगे। उक्त लिखित जवाब में यह भी अंकित किया है कि अभियुक्त संख्या--1 अश्विनी बंसल, माउन्ट आबू फर्म देवेश एजेन्सी, माउन्ट आबू एवं अभियुक्त संख्या--2 राजेन्द्र शर्मा, फर्म कंचन एन्टर प्राईजेज, उदयपुर सप्लायर है। इन्होनें हमारा ही माल सप्लाई किया एवं बेचा है। कृप्या इनके जवाब को भी इसी में शामिल मानते हुए, हमें इस वाद से मुक्त करावे। यदि माननीय न्यायालय द्वारा इसके संबंध में कोई पेनल्टी लगाई जाती है तो निर्माता फर्म द्वारा ही इसका भुगतान कर दिया जायेगा। प्रकरण में प्रतिवादी निर्माता फर्म Cremica Food Industries Ltd. (प्रतिवादी संख्या--3 व 4) की ओर से उक्तानुसार गलती/जुर्म स्वीकार कर लिये जाने से एवं जुर्माना राशि अदायगी हेतु निर्माता फर्म Cremica Food Industries Ltd. द्वारा सहमति दिये जाने के कारण प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी निर्माता फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि श्री सुनील जोशी की आज ही बहस सुनी गई। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह व्यक्त किया कि प्रतिवादीगण ने मिथ्याछाप प्रोपराईटरी फूड (चीज ब्लेन्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध होने से प्रतिवादीगण पर जुर्माना आरोपित किया जावे। जबकि प्रतिवादी निर्माता फर्म के प्रतिनिधि श्री सुनील जोशी ने उक्त जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए यह व्यक्त किया कि निर्माता फर्म ने गलती को .....लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2020.11.06 13:25:13 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.20/2020	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए

सुधार लिया है व भविष्य में ऐसी पुनरावर्ति नही होगी। निर्माता फर्म Cremica Food Industries Ltd. जुर्माना राशि अदा करने हेतु तैयार है, इसलिये प्रतिवादी संख्या–1 व 2 को दोषमुक्त करते हुए निर्माता फर्म पर कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का निस्तारण करावे।

हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 14.7.2019 को प्रतिवादी अश्विनी बंसल पुत्र राजेन्द्र बंसल, जाति–अग्रवाल, निवासी– हनुमान बिल्डिंग, सदर बाजार, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही की फर्म मैसर्स देवेश एजेन्सी, सदर बाजार, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही में प्रतिवादी अश्विन बंसल से प्रोपराईटरी फूड (चीज ब्लेन्ड) के 4 पैक्ड पैकेट (प्रत्येक एक किलोग्राम) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु कीमतन क्रय कर विधिवत कार्यवाही करते हुए उक्त प्रोपराईटरी फूड (चीज ब्लेन्ड) के नमूनें को जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को भिजवाया, जो खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांकःL.S./551/Act/2019/606 दिनांक 25.7.2019 के अनुसार मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है। खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त प्रोपराईटरी फूड (चीज ब्लेन्ड) के पैक्ड पैकेट लेबल पर best before को Small letters में अंकित होने से मिथ्याछाप माना है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि उक्त प्रोपराईटरी फूड (चीज ब्लेन्ड) की निर्माता फर्म Cremica Food Industries Ltd. है एवं प्रकरण में प्रतिवादी निर्माता फर्म Cremica Food Industries Ltd. के अधिकृत प्रतिनिधि श्री सुनील जोशी ने लिखित जवाब में यह स्वीकार किया है कि प्रोपराईटरी फूड (चीज ब्लेन्ड) को फर्म Cremica Food Industries Ltd. द्वारा बनाया गया है एवं बेचा गया है तथा निर्माता फर्म Cremica Food Industries Ltd. जुर्माना राशि अदा करने हेतु तैयार है। इससे, यह स्पष्ट है कि मिथ्याछाप (Misbranded) के निर्माण, पैकिंग एवं विक्रय किया गया है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। इस प्रकार, मिथ्याछाप (Misbranded) प्रोपराईटरी फूड (चीज ब्लेन्ड) के निर्माण, पैकिंग एवं विक्रय हेतु मुख्य रूप से निर्माता फर्म Cremica Food Industries Ltd. ही दोषी एवं उत्तरदायी है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 80 के तहत प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को दोषमुक्त किया जाकर उक्त अधिनियम की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य

......लगातार

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2020.11.06 13:25:13 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.20/2020	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा-- 52 के तहत प्रोपराईटरी फूड (चीज ब्लेन्ड) की निर्माता फर्म Cremica Food Industries Ltd. C/o m/s Adarsh Associatws, RCC Ground floor, Plot No.E-7, Road No.1 VKI Area, JAIPUR (Regd. Office: Theing Road, Phillaur-144410 (PUNJAB) पर राशि रुपये 10,000/- (अक्षरे रुपये दस हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। प्रतिवादी निर्माता फर्म Cremica Food Industries Ltd. के अधिकृत प्रतिनिधि श्री सुनील जोशी को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 02.9.2020 को पेश हो। (गितेश श्री मालवीया) अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही	

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2020.11.06 13:25:13 IST
Reason: SelfAttested